न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
030/2022 (रे.अ.) (GCMS 2022/461)	14.12.2022	23.08.2023

अनवान

भगवान लाल पिता रूपलाल जाति मीणा आयु वयस्क निवासी डाबर की चौकी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

प्रत्यर्थी

उपस्थिति :– बंशीलाल गर्ग — अपीलार्थी
भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता) — प्रत्यर्थी

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 036/2021 निर्णय दिनांक 26.08.2021 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91(3) के विरूद्ध

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध प्रत्यर्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय व आदेश 26.08.2021 न्याय, नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी नम्बर 2311, 2312, 2313 किस्म चरागाह 0.45 हैक्टेयर पर अपीलांट का कब्जा 70–80 वर्षों पूर्व से चला आ रहा था। जिस पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को दस्तावेज एवं अन्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं देकर एवं अपीलांट के अधिवक्ता के उपस्थित होने के बावजूत प्रकरण में एक तरफा एवं गुणावगुण के बगैर ही कार्यवही करते हुए निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। उपरोक्त आराजीयात पूर्व में पंचायत हल्का पुठोली तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित थी एवं तत्समय उपरोक्त आराजीयात बिलानाम काबिल काश्त थी एवं डाबर की चौकी के निवासी पहले गांव पुठोली में निवासरत थे बाद में यहां आकर बस गये है जहां पर इनके पूर्वजों ने उपरोक्त आराजीयात पर कब्जा कर काश्त करना प्रारम्भ कर दिया था जिसे लगभग 80–90 वर्ष पूर्व हो चुके है। अपीलान्ट व अपीलान्ट के पूर्वजों ने लाखों रूपयों की लागत लगा भूमि को कृषि योग्य बनाया। जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

कोई सबूत नहीं लेने में कानूनी भुल फरमायी है। सन् 1977 में भू–प्रबंध की कार्यवाही चली तब भू–प्रबंध के कर्मचारीयों द्वारा उपरोक्त बिलानाम कृषि योग्य भूमि को चारागाह में परिवर्तित कर दिया जो बिना किसी न्यायालय के आदेश की डिक्री के कर दिया गया जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। भू–प्रबंध के कर्मचारियों को भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, बिना अधिकार के बिलानाम से चारागाह में परिवर्तित किया गया जो अवैध होकर शुन्य है। बाद में नगर पालिका/नगर परिषद का क्षेत्र बढाने हेतु ग्राम पुठोली की उक्त आराजीयात नगर विकास न्यास की परिधी में आ गयी है इसे भी काफी वर्ष हो चुके है। अपीलान्ट का कब्जा निर्बाध रूप से अपने बाप दादाओं समय से 80–90 वर्षों से लगातार चला आ रहा है। जिस बाबत भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जानकारी प्राप्त किये केवल मात्र पटवारी हल्का रोलाहेड़ा की रिपोर्ट पर यह आदेश पारित किया जो निरस्त होने योग्य है। उपरोक्त आराजीयात ग्राम पंचायत पुठोली तहसील गंगरार में स्थित थी जिस पर अपीलान्टगण का कब्जा काफी पुराना होने से दिनांक 09.01.1989 को ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित किया जिसमें उपरोक्त चारागाह भूमि को चारागाह से खारिज करने की स्वीकृति दी गयी। उस ग्राम सभा के प्रस्ताव की फोटो प्रति संलग्न है। न्यायालय तहसीलदार साहब गंगरार द्वारा अपीलान्ट का नाजायज कब्जा काफी पुराना होने से एवं उक्त भूमि उस समय बिलानाम हुयी थी तब अपीलान्ट को धारा 91 का नोटिस दिया गया जो कार्यवाहियों वहां चली उसमें अपीलान्ट ने अपने पुराने कब्जे का हवाला दिया एवं तहसीलदार साहब गंगरार द्वारा मौके पर आकर मौका निरीक्षण किया गया जिसमें मौके की स्थिति खुदे हुए कुंए एवं वृक्ष आदि को देखकर जांच पड़ताल करने पर उन्होंने मौका पर्चा बनाया सन् 1990 में। तब भी उन्होने मौके पर्चे में यह बात लिखी की अपीलान्ट का कब्जा 23–24 वर्ष पुराना है जिस पर माननीय न्यायालय तहसीलदार साहब गंगरार ने 05.12.1990 को यह सिफारिश करते हुए कि अपीलान्ट का कब्जा काफी पुराना है एवं अपीलान्ट भूमिहीन काश्तकार है जिससे उपरोक्त आराजीयात अपीलान्ट के नाम पर नियमन की जानी चाहिये जिस पर उन्होंने निर्णय पारित कर भू–आवंटन कमेटी के लिए उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पत्रावली प्रस्तुत कर दी। न्यायालय के आदेश के बाद हम अपीलान्ट को यह आश्वस्त कर दिया कि उपरोक्त कृषि भूमि आपके नाम नियमन हो जायेगी और आप खातेदार काश्तकार हो जाओगे। इसलिये अपीलान्ट ने लगातार कब्जा रखते हुए काश्त करते चले आ रहे है एवं अपने परिवार का भरण पोषण करते चले आ रहे है। अपीलान्ट अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति होकर अनपढ़ है एवं उनके परिवार के भरण पोषण केवल मात्र इस आराजीयात की ओर कोई भूमि नहीं है। कृषि ही इनका परिवार पालने के लिए एक मात्र यही साधन है। वर्तमान में उपरोक्त आराजीयात पर ट्युबवेल खुदे हुए है जिससे दोनों फसले हो रही है एवं काफी फलदार एवं छायादार वृक्ष लगा रहे है एवं काफी अंग मेहनत कर कृषि भूमि को काफी उपजाऊ की है। जिस पर भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान न देकर निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अभी उपरोक्त आराजीयात पर पक्का व मुंगफली की फसल उगी हुई है जिसको पक कर तैयार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होने करीब एक–डेढ माह का समय लगेगा। अपीलान्ट को इस आदेश दिनांक की जानकारी होते ही नकल आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 02.09.2021 को नकल निर्णय प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील बिना किसी देरी के अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अंत में प्रार्थना की गई कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाने का आदेश फरमाया जावें एवं किस्म चारागाह से भूमि निरस्त कर बिलानाम कर वर्षो काबिज कब्जे के आधार पर अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रत्यर्थी की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/राजस्व/2023/72 दिनांक 25.07.2023 से से उनकी मूल पत्रावली संख्या 036/2021 निर्णय दिनांक 26.08.2021 अनवानी सरकार बनाम भगवानलाल पिता रूपलाल मीणा निवासी डाबर की चौकियां अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि रिकार्ड पर होकर पत्रावली के हम किता है। दिनांक 23.08.2023 को राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण में सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया। इस पर उभयपक्ष की सहमति से स्थगन प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही ड्रॉप कर प्रकरण को सीधे बहस पत्रावली हेतु रखा गया।

अपील अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 27.09.2021 को अन्दर मियाद पेश की गई। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस अपील को उभयपक्ष सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि उपरोक्त आराजीयात पूर्व में पंचायत हल्का पुठोली तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित थी एवं तत्समय उपरोक्त आराजीयात बिलानाम काबिल काश्त थी एवं डाबर की चौकी के निवासी पहले गांव पुठोली में निवासरत थे बाद में यहां आकर बस गये है जहां पर इनके पूर्वजों ने उपरोक्त आराजीयात पर कब्जा कर काश्त करना प्रारम्भ कर दिया था जिसे लगभग 80–90 वर्ष पूर्व हो चुके है। अपीलान्ट व अपीलान्ट के पूर्वजों ने लाखों रूपयों की लागत लगा भूमि को कृषि योग्य बनाया। सन् 1977 में भू–प्रबंध की कार्यवाही चली तब भू–प्रबंध के कर्मचारीयों द्वारा उपरोक्त बिलानाम कृषि योग्य भूमि को चारागाह में परिवर्तित कर दिया जो बिना किसी न्यायालय के आदेश की डिक्री के कर दिया गया जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। अपीलान्ट का कब्जा निर्बाध रूप से अपने बाप दादाओं समय से 80–90 वर्षों से लगातार चला आ रहा है। जिस बाबत भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जानकारी प्राप्त किये केवल मात्र पटवारी हल्का रोलाहेड़ा की रिपोर्ट पर यह आदेश पारित किया जो निरस्त होने योग्य है। उपरोक्त आराजीयात ग्राम पंचायत पुठोली तहसील गंगरार में स्थित थी जिस पर अपीलान्ट का कब्जा काफी पुराना होने से दिनांक 09.01.1989 को ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित किया जिसमें उपरोक्त चारागाह भूमि को चारागाह से खारिज करने की स्वीकृति दी गयी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इसके जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजीयात किस्म चरागाह दर्ज अभिलिखित है एवं अपीलांट का कब्जा चरागाह भूमि पर होने से नियमन की पात्रता नहीं रखता है, जिससे अपीलांट की अपील सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है। प्रचलित नियमों के अनुसार चरागाह की भूमि आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। चरागाह की भूमि पशुओं की चराई के लिये आरक्षित होती है, जिस पर अतिक्रमण पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके साथ ही अपीलांट द्वारा स्वयं अपने अपील मेमों में आराजीयात जैरबहस पर अपना अतिक्रमण स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। अतः तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि न्यायालय तहसीलदार साहब गंगरार द्वारा अपीलान्ट का नाजायज कब्जा काफी पुराना होने से एवं उक्त भूमि उस समय बिलानाम हुयी थी तब अपीलान्ट को धारा 91 का नोटिस दिया गया जो कार्यवाहियों वहां चली उसमें अपीलान्ट ने अपने पुराने कब्जे का हवाला दिया एवं तहसीलदार साहब गंगरार द्वारा मौके पर आकर मौका निरीक्षण किया गया जिसमें मौके की स्थिति खुदे हुए कुंए एवं वृक्ष आदि को देखकर जांच पड़ताल करने पर उन्होंने मौका पर्चा बनाया सन् 1990 में। तब भी उन्होने मौके पर्चे में यह बात लिखी की अपीलान्ट का कब्जा 23-24 वर्ष पुराना है जिस पर माननीय न्यायालय तहसीलदार साहब गंगरार ने 05.12.1990 को यह सिफारिश करते हुए कि अपीलान्ट का कब्जा काफी पुराना है एवं अपीलान्ट भूमिहीन काश्तकार है जिससे उपरोक्त आराजीयात अपीलान्ट के नाम पर नियमन की जानी चाहिये जिस पर उन्होंने निर्णय पारित कर भू-आवंटन कमेटी के लिए उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पत्रावली प्रस्तुत कर दी। न्यायालय के आदेश के बाद हम अपीलान्ट को यह आश्वस्त कर दिया कि उपरोक्त कृषि भूमि आपके नाम नियमन हो जायेगी और आप खातेदार काश्तकार हो जाओगे। इसलिये अपीलान्ट ने लगातार कब्जा रखते हुए काश्त करते चले आ रहे है एवं अपने परिवार का भरण पोषण करते चले आ रहे है। अपीलान्ट अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति होकर अनपढ़ है एवं उनके परिवार के भरण पोषण केवल मात्र इस आराजीयात की ओर कोई भूमि नहीं है। कृषि ही इनका परिवार पालने के लिए एक मात्र यही साधन है। वर्तमान में उपरोक्त आराजीयात पर ट्युबवेल खुदे हुए है जिससे दोनों फसले हो रही है एवं काफी फलदार एवं छायादार वृक्ष लगा रहे है एवं काफी अंग मेहनत कर कृषि भूमि को काफी उपजाऊ की है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावें। इसी ईश्तुदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस पत्रावली समाप्त की। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **2006(1) RRT** पेज संख्या 272, **2009(2) RRT** पेज संख्या 1378 पेश किये। हमने पत्रावली का बागौर अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का दृष्टिपात कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। हमने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का अवलोकन किया। अधिनियम में धारा 91 के तहत व्यवस्था की गई है कि

91 Unauthorlsed occupation of Land - (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful monthly shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted there from by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed, and 69[any crop standing, or any} building or other construction erected. or anything deposited on such land shall, if not removed with in such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of 1[in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases] as the Collector may direct:
Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.
1[(2) Such trespasser shall further be liable to pay, for 'each agricultural year during the whole or any part where of has been in such unauthorized occupation of the land, a penalty which may extend to fifty times the annual rent, or assessment, as the case may be, for the first act of trespass. In the case of each subsequent ad of trespass, he shall by the order of Tehsildar, be liable to commitment to civic person for a term which may extend to three months and to pay penalty to the extent as aforesaid. The amount of such penalty shall be recovered as an arrear of land revenue, and]
1[(3) Where the trespasser ordered to be committed to civil prison under subsection (2) satisfies the Tehsildar by whom he is ordered to be committed to civil prison that he intends to present an appeal, the Tehsildar shall order that such trespasser be released on his own bond for such periods will afford him sufficient time present the appeal and obtain stay order from the Appellate Court and such order shall so long as he is so released on bond be deemed to be suspended]
(4) In any of the following cases, namely.-
(i) where the trespasser does neither vacate the land not make appearance in response to the notice issue under sub-section (3), or
(ii) where in response to such notice, the trespasser does not vacate the land and makes appearance but-
(a) does not show any such cause, or
(b) makes any representation which is rejected after such inquiry and hearing as may be necessary in the circumstances of the case, the Tehsildar shall, unless, in the case covered by clause (ii) the trespasser under-takes to vacate the land within a week's time- and vacates it whine such time order the removal of the trespasser from such land and shall remove or depute any person, to remove him therefrom and take possession thereof; and if the Tehsildar or the person so deputed is opposed or !impeded in taking possession of such land, the Tehsildar shall apply to a Magistrate having jurisdiction and such Magistrate shall enforce the surrender of the land to the Tehsildar.
(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Tehsildar may, in case any such land belongs to the category specified in clause (ii) of the proviso to Section 97, sell it, with the approval of the Sub-Divisional Officer, to the trespasser upon payment by him of the premium therefor at the rate fixed under Section 96 and applicable to such land in addition to the assessment and penalty

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

recoverable from him under sub-section (2) in respect of the whole period of unlawful occupation

1[(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) - (a) whoever occupies any land without lawful authority or, having occupied such land before corning into force of the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 1992, fails to remove such occupation within fifteen days from the date of service of a notice in writing calling upon him to do so by the Tehs!Idar shall, on convich`on, be punished with simple imprison- ment which shall not be less than one month but which may extend to three years and with fine which'may extend to twenty thousand rupees; and

(b) whoever, being an employee of the State Government specifically entrusted by an order of the Collector in writing with the duty to stop or prevent an offence punishable under this sub-section wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop of prevent such offence, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both :

Provided that, in the case of an offence under clause (a), the court may for any adequate or special reason to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than one month :

Provided also that no investigation of an offence under clause (a) of this sub section shall be made by an officer below the rank of a Deputy Superintendent of Police :

Provided further that no court shall take cognizance of an offence under clause (b) except with the previous sanction of the Collector.

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/ परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। भूमि चरागाह दर्ज होने से पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करके बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया। चारागाह भूमि गांव के मवेशी चराने की भूमि होती हैं, इस पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान में चरागाह दर्ज रिकार्ड हैं जिस पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया गया एवं अपीलांट द्वारा आराजीयात जैरबहस पर अपना अतिक्रमण होना अपील मेमों में अंकित किया गया हैं, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा भू–प्रबंध की कार्यवाही एवं तहसीलदार गंगरार द्वारा की गई कार्यवाहियों का तथ्य उठाया गया है। इस संबंध में पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलार्थी की और से प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके साथ अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य को भी उठाया गया है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस संबंध में हमारा ठोस अभिमत है कि अपीलार्थी विधि के प्रावधानों के तहत दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता था, किन्तु अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में किसी भी प्रकार से कोई कब्जे के संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजीयात पर अपीलांट का किसी भी प्रकार से हक हिस्सा निहित नहीं होना प्रमाणित पाया जाता है।इसके साथ ही वर्तमान परिस्थितियों में प्रश्नगत आराजीयात चरागाह दर्ज रिकार्ड हैं जिस पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया गया हैं, विवादित आराजीयात चरागाह दर्ज रेकार्ड है एवं चरागाह पर किसी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भी प्रकार से अतिक्रमण को प्रोत्साहन दिया जाना उचित नहीं है। हमने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्राप्त अभिलेख का बागौर अवलोकन, परिशीलन/परीक्षण किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.08.2021 का अवलोकन किया। अपीलांट/अप्रार्थी को जारी नोटिस का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पांगी नहीं होते हैं, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर नियमानुसार निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.08.2021 विधि सम्मत होकर इसमे किसी प्रकार के संशोधन एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है, एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.08.2021 संपुष्ट किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व अपील प्रकरण संख्या 030/2022(रा.अ.) अनवानी भगवानलाल बनाम सरकार अपील अपीलार्थी गुणावगुण पर बलहीन होकर सारहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या 036/2021 निर्णय दिनांक 26.08.2021 अनवानी सरकार बनाम भगवानलाल को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>**23.08.2023**</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official